गेल (इंडिया) लिमिटेड

लाभांश संवितरण नीति

1.0 प्रस्तावना:

1.1 दिनांक 8 जुलाई 2016 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) (वित्तीय संशोधन) विनियम, 2016 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 43 ए के अनुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल / कंपनी) के निदेशक मंडल ने 24 मार्च 2017 को लाभांश संवितरण नीति को अंगीकृत किया है।

1.2 यह नीति गेल लाभांश संवितरण नीति ("नीति") के रूप में जानी जाएगी।

2.0 प्रभावी दिनांक

यह नीति बोर्ड द्वारा अंगीकरण की तारीख अर्थात 24 मार्च 2017 से प्रभावी होगी।

3.0 नीति का उद्देश्य

लाभांश संवितरण नीति कंपनी के विकास के लिए पर्याप्त निधि रखकर अपने लाभ का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को प्रतिफल के रूप में देने की कंपनी की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कंपनी अपने स्टैकधारकों कों धारणीय मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

4.0 सांविधिक अपेक्षाएं

बोर्ड किसी निश्चित वर्ष के दौरान लाभांश की अदायगी के संबंध में निर्णय लेते हुए निम्नलिखित सांविधिक अपेक्षाओं तथा सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेगी :

4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा/लाभ को धारित करने के संबंध में निर्णय लेते समय कंपनी पर लागू किसी विशेष रिजर्व को लाभ का निश्चित हिस्सा अनिवार्यत: देने सहित लागू नियम।

4.2 "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी पुनर्संरचना" पर निवेश व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 27 मई 2016 को जारी किए गए दिशानिर्देश जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी उल्लेख है कि : -

उद्धरण प्रारंभ

"पूर्ववत दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनक क्षेत्र का उद्यम अपने कर पश्चात लाभ का 30% अथवा निवल संपत्ति का 50%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान, मौजूदा विधिक प्रावधानों में अनुमत अधिकतम लाभांश के शर्ताधीन करेगा।"

इसके बावजूद भी, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से यह अपेक्षित है कि वे उस अधिनियम के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश का भुगतान करें जिसके तहत उनका गठन किया गया है, बशर्ते भुगतान हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाभांश मामला-दर-मामला आधार पर वित्तीय सलाहकारों के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर निम्नलिखित पहलुओं की विवेचन के पश्चात न्यायोचित हो।

i) सीपीएसई की निवल संपत्ति तथा ऋण लेने की इसकी क्षमता

ii) दीर्घावधि ऋण

iii) पूंजीगत व्यय/विस्तार आवश्यकताएं

iv) पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के संरेखण में आगामी फायदे के लिए लाभ को धारित रखना

v) नकदी तथा बैंक में जमा शेषराशि

विवेचन से यह पुष्टि हो जानी चाहिए कि निधि धारण के पश्चात बढ़ी हुई निवल संपत्ति का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अधिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम लाभ लिया जा रहा है। इस संबंध में रियायत, यदि कोई हो, की रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग तथा सचिव, दीपम को वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करनी होगी होगी।"

उद्धरण समाप्त

4.3 इस पर लागू अन्य कोई विधि/दिशानिर्देश/विनियमन की सीमा

5.0 परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर अथवा नहीं कर सकते हैं।

कंपनी नियमित तौर पर अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर ही रही है और तर्कसंगत रूप से कंपनी से भविष्य में भी इसकी घोषणा की उम्मीद की जा सकती है, बशर्ते कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत लाभांश घोषित करने के लिए बाधित न हो :

5.1 लाभ की अपर्याप्तता - यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड यह निर्धारित करता है कि कंपनी का लाभ अप र्याप्त है तो वह उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

5.2 आरक्षित निधि में से लाभांश की घोषणा न की जाए - सामान्यत: बोर्ड स्पष्ट रूप से कारण बताए बिना आरक्षित निधि में से लाभांश की घोषणा नहीं करेगा । लाभांश की घोषणा/अनुशंसा करते समय इस संबंध में किसी भी निर्णय को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित करना होगा ।

5.3 विगत हानियां एवं मूल्यह्रास - कंपनी अधिनियम की धारा 123(1) के अनुसार कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष या वर्षों में प्रावधान नहीं किए गए हानियों तथा मूल्यह्रासों का प्रतिसंतुलन वर्तमान वर्ष हेतु कंपनी के लाभ के साथ नहीं कर लिया जाता ।

6.0 बोर्ड द्वारा लाभांश की अनुशंसा/घोषणा करने के लिए विचार करने हेतु आंतरिक तथा बाह्य कारक/मापदंड

बोर्ड द्वारा अंतिम लाभांश की अनुशंसा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन करने वाली बैठक में की जाती है, जो वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होती है । बोर्ड अंतरिम लाभांश(शों) की घोषणा भी कर सकती है ।

सामान्यत: बोर्ड द्वारा लाभांश की अनुशंसा/घोषणा करने से पहले विचार किए जाने वाले कारकों में निम्न शामिल हैं, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है ।

6.1 वर्ष के दौरान कंपनी की **प्राप्त तथा पुर्वानुमानित लाभप्रदता, प्रति शेयर आय, निवल संपत्ति एवं नकदी प्रवाह** - यदि कंपनी पर्याप्त परिचालनगत नकदी प्रवाह का सृजन नहीं कर सकती है तो इसे अपनी वित्तीय बाध्यताओं तथा कभी-कभी दैनिक परिचालन जारी रखने को पूरा करने के लिए बाहरी निधियन पर निर्भर रहना पड़ता है ।

6.2 संगठित तथा असंगठित विकास एवेन्यू जैसे एम एंड ए आदि सहित **कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की पूंजी व्यय योजनाओं के लिए ऋण स्तरों, ऋण प्रसंविदाओं, ऋण की लागत तथा ऋण लेने की क्षमता** ।

6.3 तर्कसंगत समयावधि के लिए अधिक कठिनाई के बिना **ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की बाध्यताएं** – कंपनी तर्कसंगत अवधि के लिए अधिक कठिनाई के बिना अपनी ऋण बाध्याओं की चुकौती के लिए सक्षम होनी चाहिए ।

6.4 कंपनी के **पिछले कार्य-निष्पादन/लाभांश हिस्ट्री** तथा लाभांश का कंपनी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव ।

6.5 भारत में कर विनियमों द्वारा अपेक्षित लाभांश की घोषणा के समय लागू लाभांश संवितरण कर अथवा अन्य कोई स्रोत पर कर कटौती तथा गेल की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव

6.6 **समग्र आर्थिक स्थिति** : देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सकरार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अन्य समान स्थितियां कंपनी के व्यापार से संबंधित हों अथवा उसे प्रभावित करती हों, तो प्रबंधन आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाभ का अधिक हिस्सा धारित रखने पर विचार कर सकती है ।

6.7 समय-समय पर **सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश** - 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्संरचना' पर दीपम द्वारा दिनांक 27 मई 2016 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही की समाप्ति से पहले प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दीपम को रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रस्तावित दर (उपर्युक्त 4.2 में मंत्रणा के अनुसार) पर लाभाश के भुगतान से छूट की मांग कर सकती है । कंपनी द्वारा छूट की मांग करने के लिए, आवश्यकतानुसार, यह दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।

6.8 बोर्ड द्वारा उचित समझा जाने वाला अन्य कोई कारक ।

7.0 धारित आय का उपयोग

कंपनी के समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए कंपनी के उद्देश्यों के अनुसार धारित आय का उपयोग किया जाएगा । करोबार में धारित किए जा रहे लाभ कंपनी के बोर्ड द्वारा उचित समझी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं में कंपनी द्वारा लगाया जाता रहेगा ।

8.0 नीति का कार्यक्षेत्र तथा शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबध में अपनाए जाने वाले मापदंड

8.1 यह नीति बोर्ड द्वारा लाभांश की अनुशंसा, जो उपर्युक्त सभी प्रासंगिक परिस्थितियों अथवा बोर्ड द्वारा प्रासंगिक के रूप में निर्धारित किए गए अन्य कारकों पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष किया जाता है के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी।

तथापि, इस नीति के तत्वों के अलावा अतिरिक्त मापदण्डों के आधार पर अथवा कंपनी के हित में इस नीति के किसी तत्व के संशोधन के परिणाम स्वरूप लाभांश की धोषणा को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही कंपनी की वेबसाईट पर सूचित किया जाएगा ।

8.2 वर्तमान में गेल के केवल एक श्रेणी के शेयर अर्थात इक्विटी शेयर है । जब कभी भी यह अन्य किसी श्रेणी का शेयर जारी करना प्रस्तावित करेगा, नीति तदनुसार संशोधित की जाएगी ।

8.3 नीति के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं :

8.3.1 अधिमानी शेयरों का निर्धारण तथा उन पर लाभांश की घोषणा यदि गेल द्वारा भविष्य में अधिमानी शेयर जारी किए जाएं, क्योंकि यह शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित निर्गम की शतों के अनुसार होंगे;

8.3.2 लाभांश का वस्तु के रूप में संवितरण, अर्थात लागू विधि के अधीन पूर्णत: अथवा अंशत: प्रदत्त बोनस शेयर अथवा प्रतिभूति जारी करना ;

8.3.3 इक्विटी शेयर के बायबैक के माध्यम से लाभांश के भुगतान विकल्प के रूप में नकदी का संवितरण।

9.0 लाभांश भुगतान की विधि एवं समय-सीमा

9.1 अंतरिम लाभांश

9.1.1 अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा।

9.1.2 यदि कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया जाता, तो वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक महासभा में अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा ।

9.2 अंतिम लाभांश

9.2.1 अनुशंसा, यदि कोई हो, समान्यत: बोर्ड द्वारा बोर्ड की बैठक में की जाएगी। इस बैठक में कंपनी के शयेरधारकों के अनुमोदन के अधीन बोर्ड द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन किया जाता है।

9.2.2 बोर्ड द्वारा यथा अनुाशंसित लाभांश कंपनी की वार्षिक महासभा में अनुमोदित/घोषित की जाएगी।

9.3 लागू विधि के अनुसार रिकॉर्ड तारीख/बुक क्लोजर अवधि में लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों को घोषणा किए जाने के 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

10.0 संशोधन

10.1 किसी नए विनियामक प्रावधान के कारण नीति के असंगत हो जाने की स्थिति में इस नीति की समवर्ती प्रावधानों पर ऐसे विनियामक प्रावधान बाध्यकर होंगे तथा नीति को ऐसे प्रावधान के प्रभावी दिनांक से संशोधित माना जाएगा।

10.2 इस नीति में सभी बदलाव तथा संशोधन कपंनी के निदेशक मंडल द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात किए जाएंगे।